

राजस्थान सरकार
वित्त (आर्थिक मामलात) विभाग

क्रमांक: एफ.5(थ-75)डीटीए/IFMS/ई-ग्रास/5413-5662. दिनांक 25/7/2018

परिपत्र


विषय :- ई-ग्रास सिस्टम के माध्यम से जमा राजस्व के संबंध में दिशा-निर्देश।

एकीकृत वित्तीय प्रबन्धन प्रणाली के अन्तर्गत राज्य सरकार के समस्त राजस्व का संकलन (SGST को छोड़कर) ई-ग्रास के माध्यम से (ऑनलाइन/मैनुअल चालान) द्वारा किया जा रहा है। ई-ग्रास पर वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं का विस्तार करने तथा राजस्व संग्रहण में शुद्धता सुनिश्चित किए जाने हेतु कतिपय नवीन व्यवस्थाओं का संयोजन चालान जनरेट करने की प्रक्रिया के साथ दिनांक 15.08.2018 से किया जा रहा है :-

1. जमाकर्ता को राजस्व जमा करने हेतु विभाग का चयन करने के उपरान्त सम्बद्ध सेवाओं का समूह मय मैपड बजट मद परिलक्षित होगा जिससे बजट मदों के चयन में होने वाली असुविधा व त्रुटियों का समाधान संभव होगा। इस हेतु विभाग द्वारा दी जा रही सेवाओं को ई-ग्रास पर उपलब्ध विभागीय लॉगिन से ही बजट मदों के ग्रुप (Service) के साथ ई-ग्रास पर मैप किये जाना तथा सेवा का नाम दिया जाना आवश्यक होगा।
2. राशि ₹ 50,000/- से अधिक (एक ही चालान से) जमा किए जाने की दशा में रेमीटर/ जमाकर्ता द्वारा पैनकार्ड नम्बर/TAN नम्बर का इन्द्राज ई-ग्रास प्रोफाईल में किया जाना अनिवार्य होगा।
3. ई-ग्रास साईट पर वर्तमान में उपलब्ध Guest लॉगिन से चालान जनरेट करने की सुविधा बन्द की जा रही है। अब रेमीटर/जमाकर्ता द्वारा ई-ग्रास साईट से चालान जनरेट करने हेतु पहले रजिस्ट्रेशन कर प्रोफाईल बनाया जाना अनिवार्य होगा। यह एकबारीय प्रक्रिया होगी, एक बार प्रोफाईल बनाने के पश्चात रेमीटर/जमाकर्ता द्वारा अपनी प्रोफाईल से ही चालान जनरेट कर ऑनलाइन/मैनुअल भुगतान किया जा सकेगा।
4. राजकीय कार्यालयों द्वारा ई-ग्रास साईट पर अपने कार्यालय लॉगिन के माध्यम से चालान जनरेट कर राजस्व जमा करवाया जा सकता है। कार्यालय द्वारा भी प्रोफाईल बनाई जाना अनिवार्य होगा।
5. चालान जनरेट किए जाने हेतु रेमीटर/जमाकर्ता द्वारा स्वयं के मोबाईल नम्बर का इन्द्राज ई-ग्रास किया जाना अनिवार्य होगा।

[Handwritten Signature]

6. एक ही चालान में एक से अधिक अधीनस्थ कार्यालयों के मुख्य बजट मद से संबंधित राजस्व जमा करवाया जा सकता है जिसके तहत एक चालान में अधिकतम 9 परपज में (एक ही मेजर हैड से सम्बद्ध) राशि जमा करवाई जा सकती है। यह सुविधा विभागीय एप्लीकेशन के इन्टीग्रेशन के माध्यम से उपलब्ध होगी।
7. कार्यालय/विभाग द्वारा राजस्व जमाकर्ता को सुविधा दिये जाने के उपरान्त Auto Deface की सुविधा भी विभागीय एप्लीकेशन के सर्वर के माध्यम से (Server to server) उपलब्ध होगी। विभागों को इस हेतु अपनी एप्लीकेशन्स को लिंक करना होगा।
8. सभी विभागों के सम्बद्ध कार्यालयों को ई-ग्रास पर जमा चालानों के विरुद्ध सेवा दिए जाने पर अविलम्ब डिफेस करना अनिवार्य होगा। बिन्दु संख्या 7 के अनुसार विभागीय एप्लीकेशन पर ऑटो डिफेस के प्रावधान संयोजित होने पर ई-ग्रास पर पृथक से डिफेस की आवश्यकता नहीं होगी। उक्त प्रक्रियाओं के माध्यम से डिफेस न करने व विभागीय कार्यालयों द्वारा सेवा दिए जाने के उपरान्त भी रिफण्ड किए जाने के प्रकरणों में सम्बद्ध कार्मिकों/अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।
9. सभी राजकीय विभागों से अपेक्षा है कि वे कार्यालयवार डिफेस हेतु लम्बित ई-ग्रास चालानों की समीक्षा अपने स्तर पर कर अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करेंगे।


(मंजू राजपाल)
शासन सचिव, वित्त (बजट)